पत्रांक /   /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/पत्रा–09 (07–08) /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः: देहरादून 07 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उत्तराखण्ड।

:–परिपत्रः–

कर निर्धारण वादों को स्वतः निर्धारण हेतु चिन्हित व निस्तारित करने हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया परिपत्र संख्या 868/आयु0क0उत्तरा0/दिनांक 27.05.2014 द्वारा जारी की गयी थी, जो 'डीम्ड निस्तारण' शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 03 के अनुसार सम्बन्धित वर्ष की लम्बित वादों की उपलब्ध सूची के कॉलम Case scrutiny में ऐसे वाद जिनका निस्तारण डीम्ड किया जाना है, उनको Select करने के उपरान्त दी गयी प्रक्रियानुसार डीम्ड निस्तारित किया जाना था।

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ कर निर्धारण कार्यालयों में पेन्डेसी ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है, जिस कारण से कुछ डीम्ड वादों का कम्प्यूटर के माध्यम से चिन्हीकरण/निस्तारण नहीं हो पा रही है। इस प्रकार के वादों के निस्तारण हेतु परिपत्र संख्या 1051/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/पत्रा–09(07–08)/14–15/देहरादून, दिनांक 06.06.2014 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही करते हुये, समस्त वादों की सूची दिनांक 15.11.2014 तक ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रेषित कर देंगे। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) इस प्रकार प्राप्त सूचियों की Combined सूची बनाकर दिनांक 20.11.2014 तक एडिशनल कमिश्नर जोन को प्रेषित करेंगे। एडिश्नल कमिश्नर जोन उक्त प्रकार प्राप्त सूची की Combined सूची मुख्यालय प्रेषित करेंगे ताकि इन वादों की विज्ञप्ति जारी हो सके।

इस अवधि में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई ऐसा वाद शेष न रहें जो डीम्ड योग्य हो, एंव जिसकी विज्ञप्तियों जारी नहीं हो पाई हो।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3537 /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

v.notification/14.15 | 234

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
नैनीताल संभाग, हल्द्वानी।

सेवामें,

आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून।

पत्रांक 538 /विधि–अनु0/2014–15/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0ह0दिनांक 16, जून, 2014

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1199/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/2014–15/वाणि0कर/दे0दून दिनांक 11.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 के लिये डीम्ड योजना लागू की गयी है। जिसमें आप द्वारा स्वयं निस्तारण योग्य वादों का निस्तारण करने तथा प्रति सप्ताह सोमवार को नियमित रुप से मुख्यालय को निस्तारित हुए वादों के संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

दिनांक 16.06.2014 के सायं 04.19 बजे तक इस संभाग के निस्तारित वादों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0एस0नगन्याल)
ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर
नैनीताल संभाग हल्द्वानी।

2551
19/6/14

Home

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT UTTARAKHAND

Government Of Uttarakhand

You are Logged in as : **Joint Commissioner, Haldwani**

Logout

USER PROFILE

TAX ASSESSMENT REPORTS

- List of Deemed Cases
- List of Disposed Cases

DEALER INFORMATION

e-Registration

e-Payment

Return Reports

Manual Return Form III

e-Form Report

Refund Reports

Trip Sheet Reports

Transit Reports

INFORMATIVE REPORTS

PAN WISE REPORTS

LOAN REPORTS

Assesment year : 2011-2012

Deemed cases of assessment year 2011-2012

Region	Total Number of Deemed Cases
DEHRADUN	437
HALDWANI	336
HARDWAR	343
KASHIPUR	226
Total :	**1342**

Office Name	Total Number of Deemed Cases
Almora-AC I	19
Almora-AC II	6
Bageshwar AC I	10
Haldwani-AC I	34
Haldwani-AC II	50
Haldwani-AC III	31
Haldwani-AC IV	45
Nainital-AC I	6
Pithoragarh-AC I	22
Pithoragarh-AC II	36
Ramnagar-AC I	42
Tanakpur-AC I	35

Designed and Developed By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit Dehradun